



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062022-236419
CG-DL-E-08062022-236419

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2022/ज्येष्ठ 18, 1944

No. 290]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2022/JYAISHTHA 18, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

(चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट)

सं. 1-सीए(7)/203/2022.—भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थान परिषद्, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट विनियम, 1988 के विनियम 159(1क) के अनुसरण में, 20 मई, 2022 से जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में केंद्रीय भारत क्षेत्रीय परिषद् की एक शाखा की स्थापना को अधिसूचित करती है।

शाखा, केंद्रीय भारत क्षेत्रीय परिषद् की हनुमानगढ़ जिला शाखा के रूप में ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय जिला हनुमानगढ़ होगा। निम्नलिखित स्थानों के अलावा शाखा की अधिकारिता हनुमानगढ़ जिले के संपूर्ण क्षेत्र में होगी :--

1. नोरहार
2. भद्रा
3. पीलीबंगा
4. रावत्सर
5. संगेरिया
6. तिब्बी

जैसा कि विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित है, शाखा, केंद्रीय भारत क्षेत्रीय परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशों के अधीन रहते हुए कार्य करेगी तथा ऐसे निदेशों का कार्यान्वयन करेगी, जो परिषद् द्वारा, समय-समय पर, जारी किए जाएं।

सीए (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./110/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2022

(Chartered Accountants)

No. 1-CA (7)/203/2022.— In pursuance of the Regulation 159 (1A) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Central India Regional Council in Hanumangarh District (Rajasthan) with effect from 20th May, 2022.

The Branch shall be known as Hanumangarh District Branch, of Central India Regional Council and its Head Quarter shall be at Hanumangarh District. The Jurisdiction of the Branch besides the following Places shall cover whole District of Hanumangarh:-

1. Norhar
2. Bhadra
3. Pilibanga
4. Rawatsar
5. Sangeria
6. Tibbi

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./110/2022-23]